GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
& ENTREPRENEURSHIP

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

Guidelines for Customised Crash Course Programme for COVID Warriors

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0)

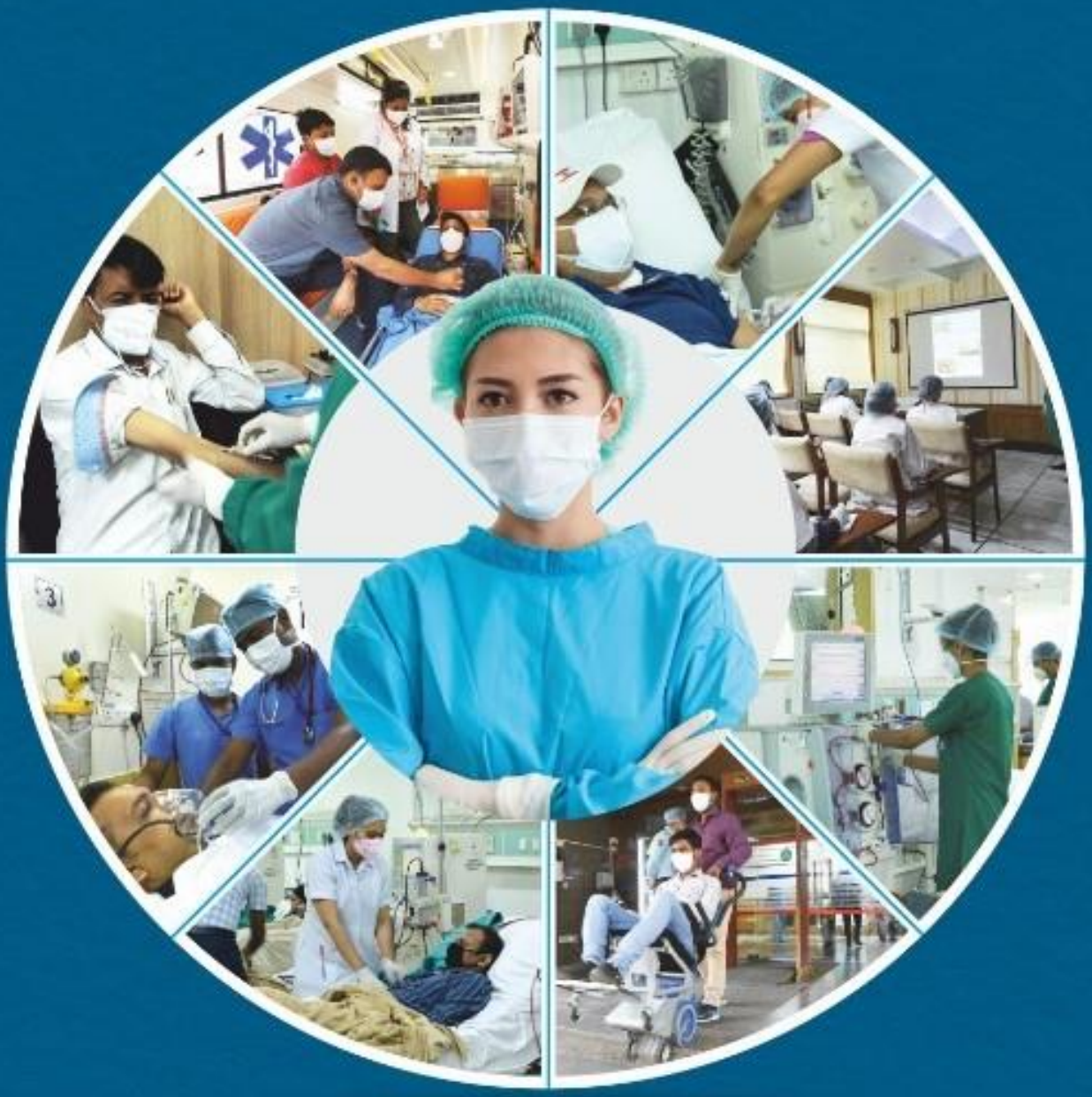

डिस्क्लेमर

इन दिशानिर्देशों में निहित सभी जानकारी हितकर होने के साथ ही पूरी तरह से स्पष्ट हैं। कोविड योद्धाओं के लिए कस्टमाइज़्ड क्रैश कोर्स कार्यक्रम के दिशानिर्देशों संबंधित डॉक्युमेंट का उपयोग एमएसडीई द्वारा पहले जारी किये गए पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-2021) योजना के दिशानिर्देशों के साथ किया जाना है।

एमएसडीई दायित्व या किसी दायित्व के बिना, किसी भी स्तर पर इस दस्तावेज़ में उल्लेखित किसी भी जानकारी को संशोधित करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

विषयसूची

चैप्टर 1: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - सामान्य 3

1.1. परिचय 3

1.2. उद्देश्य 3

1.3. कंपोनेंट 3

1.4. क्रैश कोर्स के लिए जॉब रोल्स का विवरण 4

चैप्टर 2: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन 7

2.1 अवलोकन 7

2.2 प्रशिक्षण लक्ष्य 7

2.3 प्रशिक्षण केंद्रों का चयन एवं सूचीकरण 7

2.4 बोर्डिंग और लॉजिंग 7

2.5 प्लेसमेंट 8

2.6 मोबिलाइजेशन 8

चैप्टर 3: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - प्रमुख हितधारक, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां 9

3.1. कोविड-19 के लिए कार्यकारी कौशल समिति (ईएससीसी) 9

3.2. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) 10

3.3. राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) 10

3.4. जिला कौशल समितियां (डीएससी) 11

3.5. सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) 11

चैप्टर 4: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - बजट और अनुदान 12

4.1. बजट और फंडिंग पर विवरण 12

चैप्टर 5: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम- मॉनिटरिंग 13

5.1. मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 13

चैप्टर 6: ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन गाइडलाइंस 15

6.1. परिचय 15

6.2. कम्युनिकेशन वेल्यूज 15

6.3. जनता / प्रशिक्षुओं के लिए संदेश 16

6.4. प्राइमरी लोगो 16

6.5. सोशल मीडिया पब्लिसिटी 18

चैप्टर 7: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - PMKVY 3.0 के दिशानिर्देशों से छूट / विचलन 21

7.1. छूट/विचलन 21

अनुलग्नक 1: कॉस्ट कम्पोनेंट्स 22

अनुलग्नक 2: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 23

सेक्शन ए - कार्यक्रम, इसका उद्देश्य और कार्यान्वयन संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 23

सेक्शन बी - प्रमाणन और संबद्धता संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्न 29

सेक्शन सी - मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 32

अनुलग्नक 3: महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिंक 36

संक्षिप्त रूप, नाम

1	एईबीएएस	आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम
2	एईएपी	आधार इनेबल्ड असेसमेंट एप
3	बी एंड एल	बोर्डिंग एंड लॉजिंग
4	सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन
5	सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक
6	सीएससीएम	केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित
7	सीएसएसएम	केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित
8	डीडीयूजीकेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
9	डीएससी	ज़िला कौशल समितियां
10	ईएससीसी	एग्जीक्यूटिव स्किल कमेटी फॉर कोविड-19
11	जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
12	एचएमवी	भारी मोटर वाहन
13	एचएसएससी	हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल
14	आईएमसी	इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी
15	आईटी	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
16	केपीआई	की परफॉर्मेंस इंडिकेटर
17	एलएमओ	लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन
18	एमआरए	मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंस
19	एमओएचएफडब्लू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
20	एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
21	एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
22	एनयूएलएम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
23	ओबीडी	आउट बाउंड डायलिंग
24	ओजीटी	ऑन दि जॉब ट्रेनिंग
25	पीएचसी	प्राइमरी हेल्थ क्लीनिक
26	पीआईए	प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज
27	पीएमसी	पीएमकेवीवाई मॉनिटरिंग कमेटी
28	पीएमकेके	प्रधानमंत्री कौशल केंद्र

29	पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
30	पीपीई	पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट
31	आरपीएल	रिकगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग
32	एसईओ	स्टेट इंगेजमेंट ऑफिसर
33	एसआईपी	स्किल इंडिया पोर्टल
34	एसपीआईए	स्पेशल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी
35	एसएसडीएम	स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन
36	एसटीटी	शार्ट टर्म ट्रेनिंग
37	टीसी	ट्रेनिंग सेंटर
38	टीपी	ट्रेनिंग पार्टनर
39	टीओटी	ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर
40	यूटी	केंद्र शासित प्रदेश

चैप्टर 1: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - सामान्य

1.1. परिचय

कोविड-19 महामारी ने हमारी मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बुरी तरह से बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते यह महसूस किया गया कि देश भर में कुशल कोविड वारियर्स की आवश्यकता है। तय समय के भीतर कुशल कोविड योद्धाओं की इस कमी को पूरा करने के साथ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने मानकीकृत स्किल इकोसिस्टम के अनुसार स्केल, स्पीड के साथ प्रशिक्षित / कुशल कोविड योद्धाओं का पूल बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसलिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक की विशेष परियोजना श्रेणी के तहत इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 'कोविड योद्धाओं के लिए 'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स कार्यक्रम' को एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है।

कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर से उत्पन्न होने वाली अत्यावश्यकताओं ने अभूतपूर्व चुनौतियों और पर्याप्त कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को जन्म दिया है, जिसके चलते लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के संचालन और परिवहन में प्रशिक्षित ड्राइवरों की मांग बढ़ गई है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पीएमकेवीवाई 3.0 . के तहत उम्मीदवारों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के जॉब रोल्स के लिए प्रशिक्षित करने के साथ-साथ वर्तमान क्रैश कोर्स के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के संचालन और परिवहन में ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्तमान दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

वर्तमान कार्यक्रम को विशेष रूप से कोविड-19 संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और किसी भी आगामी कोविड- 19 संबंधित आपात स्थिति के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र को सक्षम करने के लिए तैयार किया गया है।

1.2. उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक लाख कोविड वॉरियर्स को तैयार करने के साथ ही देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन के बेहतर संचालन और परिवहन के लिए 2,800 ड्राइवरों को

प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, प्रमाणन और नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

i. कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों और लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों की मांग में हुई वृद्धि को पूरा करना।
ii. मौजूदा स्वास्थ्य पेशेवरों के बोझ को कम करना
iii. देश के हर कोने में समय पर स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करना

1.3. कम्पोनेंट्स

इस कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम जे मुख्य रूप से तीन घटक हैं-;

1.3.1 कम्पोनेंट 1: हेल्थकेयर सेक्टर के जॉब रोल्स से जुड़े कैंडीडेट्स की फ्रेश स्किलिंग (शार्ट टर्म ट्रेनिंग)

हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा सुझाए गए छह जॉब रोल्स (जैसा कि 1.4 में उल्लेख किया गया है) में इस कम्पोनेंट के तहत प्रशिक्षण कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण की यह अवधि लगभग 21 दिनों की होगी, जोकि थ्योरी बेस्ड क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी सैम्पल कलेक्शन सेंटर जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं में लगभग 90 दिनों की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग होगी। ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग करने वाले कैंडिडेट्स को सीधे डायरेक्ट-बेनीफिट-ट्रांसफर (डीबीटी) प्रक्रिया के माध्यम से वेतन दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद क्रैश कोर्स के लिए कैंडिडेट्स का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाएगा और इसे एचएसएससी द्वारा पीएमकेवीवाई 3.0 में पहचानी गई प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार किया जाएगा।

1.3.2 कम्पोनेंट 2: पीएमकेवीवाई 2.0 . के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अपस्किलिंग (रिकगनाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग) होगी। इस घटक के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मूल रूप से 6 जॉब रोल्स (जैसा कि तालिका 1, कॉलम 4 - 'क्यूपी से मैप किया गया') पर एक ब्रिज कोर्स के रूप में प्रशिक्षण की अवधि लगभग एक सप्ताह की होगी। इस प्रशिक्षण के बाद कैंडिडेट्स का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाएगा।

1.3.3 कम्पोनेंट 3: लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के संचालन और परिवहन में चालकों का प्रशिक्षण। कोविड-19 महामारी के चिकित्सा प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है, जिसकी सभी अस्पतालों में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की वस्तु बन गई है। आज देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान में, केवल 1,200 टैंकर वाहन हैं जो देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि चालक को एचएमवी क्वालिफाइड, केमिकल हैजर्ड ड्राइविंग सर्टिफाइड और प्रशिक्षित होना चाहिए और साथ ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर ड्राइविंग के लिए भी योग्य होना चाहिए, इस क्षमता निर्माण में पर्याप्त समय लगता है।

आज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के संचालन और परिवहन के लिए लगभग 2,800 ड्राइवरों के कुशल कार्यबल को तैयार करने की तत्काल आवश्यकता सामने आई है। कस्टमाइज्ड क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी)/नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड (एनओएस) से संबंधित लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएसएससी) की सिफारिशों के आधार पर, जो ड्राइवरों की दक्षताओं के लिए उपयुक्त हैं, पीएमकेवीवाई 3.0 परियोजना के तहत एलएसएससी ऐसे 2,800 ड्राइवरों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के संचालन और परिवहन में विशेष रूप में प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण की यह अवधि 27 दिनों में कुल 217 घंटों की होगी। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के दौरान 'रक्षात्मक ड्राइविंग' पर ध्यान देने के साथ-साथ खतरनाक रसायनों और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन में एचएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

1.4. क्रैश कोर्स के लिए जॉब रोल्स का विवरण

तीन कंपोनेंट के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए जॉब रोल्स को उनके संबंधित सेक्टर स्किल कॉउंसिल द्वारा कस्टमाइज्ड किया गया है।

1.4.1 हेल्थकेयर ट्रेनिंग के लिए जॉब रोल्स

हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (HSSC) की सिफारिशों के आधार पर हेल्थकेयर ट्रेनिंग के लिए कस्टमाइज्ड छह जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा:

i. कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (होम केयर सपोर्ट),
ii. कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (बेसिक केयर सपोर्ट),
iii. कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (एडवांस्ड केयर सपोर्ट),
iv. कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (इमरजेंसी केयर सपोर्ट),
v. कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (सैंपल कलेक्शन सपोर्ट),
vi. कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट)

चूंकि कोविड हेल्थकेयर प्रबंधन के लिए व्यापक डेटा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए 'मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंस (MRA)' की जॉब रोल्स के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को सभी छह जॉब रोल्स की पाठ्यक्रम सामग्री में समाहित किया गया है।

टेबल 1: जॉब रोल वाईज क्रैश कोर्स का विवरण

क्रमांक	क्रैश कोर्स	क्रैश कोर्स क्यूपी कोड	क्यूपी जिससे मैप किया गया	Estimated Hours*	न्यूनतम शिक्षा मानदंड
1	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (बेसिक केयर सपोर्ट)	HSS/Q5104	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट (जीडीए)	195 घंटे	10वीं पास
2	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (होम केयर सपोर्ट)	HSS/Q5105	होम हेल्थ एड (एचएचए)	195 घंटे	10वीं पास
3	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (एडवांस्ड केयर सपोर्ट)	HSS/Q5605	जीडीए एडवांस्ड-क्रिटिकल केयर (जीडीएए)	210 घंटे	10वीं पास
4	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (सैंपल कलेक्शन सपोर्ट)	HSS/Q0502	फ्लेबोटोमिस्ट	211 घंटे	12वीं पास (साइंस)

क्रमांक	क्रैश कोर्स	क्रैश कोर्स क्यूपी कोड	क्यूपी जिससे मैप किया गया	Estimated Hours*	न्यूनतम शिक्षा मानदंड
5	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (इमरजेंसी केयर सपोर्ट)	HSS/Q2303	इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन-बेसिक (ईएमटीबी)	144 घंटे	12वीं पास
6	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (मेडिकल केयर सपोर्ट)	HSS/Q5604	मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट (एमईटीए)	312 घंटे	10वीं पास, आईटीआई, 3.5 साल का अनुभव या डिप्लोमा (टेक्निकल सब्जेक्ट)

(*दिनों की वास्तविक संख्या टेबल 1.4 के अनुसार, कक्षा के घंटों की संख्या प्रति दिन 9 घंटे होगी जबकि ऑन दि जॉब ट्रेनिंग प्रतिदिन 8 घंटे होगी।)

1.4.2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए जॉब रोल्स

लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएसएससी) की सिफारिशों के आधार पर, जो 'कमर्शियल वेहिकल ड्राइवर (सीवीडी)' के क्यूपी की आइडेंटीफिकेशन और मैपिंग के अनुरूप दक्षताओं के लिए उपयुक्त हैं उन्हें कस्टमाइज़्ड क्वालीफिकेशन पैक (क्यूपी) / नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टेंडर्ड (एनओएस) पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान निम्न विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

i. डिफेंसिव ड्राइवर ट्रेनिंग
ii. खतरनाक रासायनों को संभालने के प्रशिक्षण के अलावा खाली टैंकरों के साथ 2 रिटर्न ट्रिप की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग होगी। जिसमें प्रति ट्रिप लगभग छह से सात दिन का समय लगेगा यानी दोनों ट्रिप मिलाकर कुल 12 दिनों का समय

होगा।

iii. लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का संचालन और परिवहन

टेबल 2: लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्रैश कोर्स का विवरण

क्रमांक	मैप्ड क्यूपी	मैप्ड एनओएस	थ्योरी के घंटे
1	कमर्शियल वेहिकल ड्राइवर - एलएमओ, एलएससी/ Q1005 (एनएसक्यूएफ़ लेवल 4)	ASC/N9703 वाहन की सड़क योग्यता सुनिश्चित करना	72
2		ASC/N9705 लंबी दूरी की यात्राओं सहित निर्धारित मार्ग पर सुरक्षित रूप से ड्राइव करना	72
3		ASC /N0012 एचएसई और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का अभ्यास	73
			कुल 217 घंटे/ 27 दिन

चैप्टर 2: PMKVY 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन

2.1 अवलोकन

यह पहल पीएमकेवीवाई 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत लागू की जाएगी, जिसके कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग की ज़िम्मेदारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉउंसिल के पास होगी। वहीं, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन साथ मिलकर इस पहल को प्रभावी बनाने में सहायता करेंगी। कोविड-19 द्वारा उत्पन्न ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए यह कार्यक्रम चैप्टर 7 के तहत प्रदान की गई छूट को छोड़कर पीएमकेवीवाई 3.0 दिशानिर्देशों और प्रशासनिक ढांचे का पालन करेगा।

2.2 ट्रेनिंग टारगेट

कंपोनेंट 1 और 2 के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई डिमांड और स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर लगभग एक लाख उम्मीदवारों (एसटीटी के तहत लगभग 90,000 और आरपीएल के तहत 10,000 उम्मीदवारों) का कुल प्रशिक्षण किया जाएगा। चिन्हित किये गए ट्रेनिंग पार्टनर्स और उद्योग निकायों की सहायता से कुल 2,800 ड्राइवरों का प्रशिक्षण कार्य आयोजित किया जाएगा।

2.3 ट्रेनिंग सेंटर्स का चयन

पात्र प्रशिक्षण केन्द्रों को हेल्थकेयर जॉब रोल्स के लिए ट्रेनिंग टारगेट के आवंटन की प्राथमिकता निम्न प्रकार से की जाएगी:

i. जिले के पीएमकेके/पीएमकेवीवाई ट्रेनिंग सेंटर्स
ii. पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक के तहत स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संबद्ध और मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर्स
iii. केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना- नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत संबद्ध और मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर्स

iv. निजी क्षेत्र से संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए एनएसडीसी द्वारा संबद्ध और मान्यता प्राप्त जिले के अन्य ट्रेनिंग सेंटर्स।

v. इस प्रशिक्षण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित किये गए अस्पताल, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्कूल

2.4 बोर्डिंग और लॉजिंग

फ्रेश स्किलिंग (एसटीटी) के तहत लगभग 21 दिनों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग (बी एंड एल) सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी और कंपोनेंट 1 यानी फ्रेश स्किलिंग (एसटीटी) के तहत नौकरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान अतिरिक्त 90 दिनों (लगभग) की अनुमति दी जाएगी। क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान, बोर्डिंग और लॉजिंग पे आउट, (आवासीय सुविधाएं पीएमकेवीवाई मानदंडों के अनुसार) ट्रेनिंग सेंटर्स में जिले के बाहर से आने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, ऑन दि जॉब ट्रेनिंग पर सभी उम्मीदवारों को सेल्फ-बोर्डिंग और लॉजिंग प्रदान की जाएगी।

2.5 प्लेसमेंट

कोविड 19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र के उम्मीदवारों को कोविड योद्धाओं के रूप में कौशल प्रदान करने का प्रयास प्रमुख महत्व रखता है। इस कार्यक्रम को इस तरह से कस्टमाइज़्ड किया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के ट्रेनिंग के घंटों को कस्टमाइज़्ड करने के साथ ही ऑन दि जॉब ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवारों का मूल्यांकन भी दो स्तरों पर किया जाता है: पहला मूल्यांकन क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद और दूसरा मूल्यांकन ऑन दि जॉब ट्रेनिंग के बाद। यह कार्यक्रम कोविड योद्धाओं के रूप में ऑन-ग्राउंड काम करने के दौरान उम्मीदवारों की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के साथ ही सफल प्लेसमेंट की संभावना को बढ़ाता है।

इसलिए, कस्टमाइज़्ड क्रैश कोर्स की प्रकृति और उसके उद्देश्यों को देखते हुए, माइलस्टोन को कुछ बदल दिया गया है, सामान्य मानदंड दस्तावेज़ में परिभाषित अपवाद के अनुरूप अनुलग्नक 3 देखें

हालांकि, ट्रेनिंग पार्टनर्स को पीएमकेवीवाई 3.0 के दिशानिर्देशों के अनुरूप भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अनिवार्य बनाया गया है।

ट्रेनिंग पार्टनर्स के अलावा, प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति डीएससी, एनएसडीसी, एचएसएससी, सेंटर एट दि प्राइमरी/कम्युनिटी हेल्थ क्लीनिक, स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों में भी सुनिश्चित की जा सकती है।

2.6 मोबिलाइजेशन

- जिला कौशल केंद्र (डीएससी) और कौशल मिशन (एसएसडीएम) उम्मीदवारों की मोबिलाइजेशन और कॉउंसलिंग के लिए जिम्मेदार होंगे।
- फ्रेश स्किलिंग के लिए, क्यूपी पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन प्रशिक्षण और अपस्किलिंग के लिए किया जाएगा, एनएसडीसी (पीएमकेवीवाई 2.0 के प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी।
- मोबिलाइजेशन और काउंसिलिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइडर (टीपी) से आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

चैप्टर 3: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत के कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - प्रमुख हितधारक, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

3.1. कोविड- 19 के लिए एक्सिक्यूटिव स्किल कमेटी (ईएससीसी)

3.1.1. कोविड- 19 एक्सिक्यूटिव स्किल कमेटी की अध्यक्षता एमएसडीई के स्किल डेवलपमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा की जा रही है। जिसका गठन समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम के निर्माण, कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग के लिए किया गया है। ईएससीसी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और आरपीएल के बीच लक्ष्यों के गतिशील निर्धारण के मामले में उचित निर्णय लेने के लिए सशक्त है।

3.1.2. ईएससीसी की संरचना इस प्रकार है:

टेबल 3: ईएससीसी की संरचना

क्रमांक	ईएससीसी सदस्यों का संगठन	ईएससीसी में निभाई जाने वाली भूमिकाएं
1	एडिशनल सेकेट्री (स्किल डेवलपमेंट) एमएसडीई	चैयरमैन
2	चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एनएसडीसी	मैंबर
3	डेप्युटी डायरेक्टर जनरल, डीजीटी, एमएसडीई	मैंबर
4	डायरेक्टर, बजट/ आईएफडी, एमएसडीई	मैंबर
5	हेड आरपीएल/ स्पेशल प्रोजेक्ट, पीएमकेवीवाई, एनएसडीसी	मैंबर
6	हेड, मॉनिटरिंग, पीएमकेवीवाई, एनएसडीसी	मैंबर
7	सीईओ, हेल्थकेयर सेक्टर स्किल कॉउंसिल (एचएसएस सी)	मैंबर
8	जॉइंट डायरेक्टर, पीएमकेवीवाई डिवीजन, एमएसडीई	मैंबर सेकेट्री

3.1.3. ईएससीसी पर निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

3.1.3.1. पीएमकेवीवाई 3.0 के सीएससीएम घटक के तौर पर कोविड-19 संबंधित पाठ्यक्रमों में स्किलिंग/अपस्किलिंग के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिए ईएससीसी नियमित रूप से बैठक करेगा।

3.1.3.2. ईएससीसी तैयार किए गए विशेष कार्यक्रम को संचालन समिति के समक्ष रखेगा और पीएमकेवीवाई 3.0 के दिशानिर्देशों का पालन करेगा। पीएमकेवीवाई 3.0 के दिशानिर्देशों के पालन न होने की स्थिति में, ईएससीसी इसकी जांच करेगा और इसे अंतिम स्वीकृति के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 की संचालन समिति के समक्ष रखेगा।

3.1.3.3. ईएससीसी, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी यानी एनएसडीसी द्वारा किए गए विशेष कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन (संपूर्ण प्रशिक्षण चक्र) और निगरानी की समीक्षा करेगा।

3.1.3.4. ईएससीसी, कोविड-19 के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 के अलावा अन्य संबद्ध कौशल पहलों को तैयार करने के साथ ही उनका संचालन और मॉनिटरिंग भी करेगा।

3.1.3.5. ईएससीसी इस विशेष कार्यक्रम के पूरा होने के बाद 15 दिनों के भीतर पीएमकेवीवाई 3.0 की संचालन समिति के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3.2. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी)

इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनएसडीसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

3.2.1. घटकों का कार्यान्वयन/समग्र संचालन

3.2.2. कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन

3.2.3. प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) / पीएमकेवीवाई ट्रेनिंग सेंटर्स एवं अन्य ट्रेनिंग सेंटर्स को ईएससीसी द्वारा विधिवत स्वीकृत ओर उपयुक्त कार्यप्रणाली के साथ लक्ष्य आवंटन

3.2.4. स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां और ट्रेनिंग पार्टनर्स को जहां भी आवश्यक हो, तकनीकी सहायता प्रदान करना।

3.2.5. ईएससीसी द्वारा सौंपी गई किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन

3.2.6. कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, एनएसडीसी/एसएससी दोनों ही मिलकर एसएसडीएम और डीएससी को सहयोग और समर्थन के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करेंगे।

3.2.7. एनएसडीसी एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, पीएमकेवीवाई 3.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों (प्रतिभागियों की हैंडबुक, इंडक्शन किट, दुर्घटना बीमा आदि) की हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगा।

3.2.8. शिकायतों का निपटारा

3.3. स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन (एसएसडीएम)

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसएसडीएम की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

3.3.1. यदि आवश्यक हो तो एसएसडीएम एमएसडीई, एनएसडीसी और डीएससी, ट्रेनिंग पार्टनर्स के समन्वय से कार्यक्रम के घटकों के समग्र कार्यान्वयन के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेंगे।

3.3.2. एसएसडीएम को नीचे उल्लेखित टारगेट ऑडियन्स को ध्यान में रखते हुए डीएससी के साथ परामर्श द्वारा जॉब रोल्स और ज़िले से आ रही मांग को स्किल इंडिया पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

i. अपस्किलिंग (आरपीएल) - पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत हेल्थकेयर जॉब रोल्स में सर्टिफाइड सभी कैंडीडेट्स, अपस्किलिंग और राज्य से आ रही मांग के अनुरूप खुद को स्किल्ड बनाने के इच्छुक या किसी अन्य श्रेणी के अनुभवी कैंडिडेट्स।

ii. फ्रेश स्किलिंग (एसटीटी) - क्यूपी पात्रता मानदंड प्रमाणन को पूरा करने वाले नए उम्मीदवार

3.3.3. डीएससी और टीपी के परामर्श से एसएसडीएम प्रशिक्षुओं के बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा।

3.3.4. एसएसडीएम प्रशिक्षण और उसके बाद की गतिविधियों को शुरू करने की तैयारी की अनुमति देने के साथ ही सेंटर्स को खोलने से जुड़े दिशानिर्देश और परामर्श जारी करने के अलावा सेंट्रल स्टाफ और कैंडिडेट्स की आवाजाही सुनिश्चित करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

3.3.5. चयनित प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन की अनुमति जारी करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, वहीं केंद्रों के प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों के आने जाने के लिए पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत

प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अन्य प्रशासनिक सहायता भी दी जाएगी और उम्मीदवारों को आवासीय सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

3.3.6. एसएसडीएम आधिकारिक मान्यता और संबद्धता के मानदंडों के अनुसार नए टीसी को मान्य करने के लिए एक अनुमोदन पत्र (जिला कौशल समिति / किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी) के माध्यम से नए टीपी / टीसी के बोर्डिंग के लिए भी सिफारिश करेंगे।

3.4. डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां (डीएससी)

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति (डीएससी) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु होगी। इस विशेष कार्यक्रम में डीएससी की जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी:

3.4.1. एसएसडीएम के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां द्वारा सलेक्टेड जॉब रोल्स, कैंडिडेट्स के मोबिलाइजेशन, बैच के गठन, अस्पतालों / स्वास्थ्य केंद्रों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के संचालन और उम्मीदवारों की नियुक्ति आदि पर आ रही मांग को एकत्रित किया जाएगा।

3.4.2. ट्रेनिंग प्रोवाइडर स्टाफ और कैंडिडेट्स के लिए वैक्सीनेशन सुविधा

3.4.3. इस योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को कोविड केयर फैसिलिटी में तैनात स्वास्थ्य पेशेवरों की सहायता के लिए केंद्र/राज्य सरकार की नीति के अनुरूप 'कोविड योद्धा' के रूप में नामित किया जाएगा।

3.4.4. ऑन दि जॉब ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल और अन्य हेल्थकेयर फैसिलिटी की पहचान कर प्रशिक्षित हुए हेल्थकेयर प्रोफेशनल की तय जगहों पर तैनाती।

3.4.5. ऑन दि जॉब ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति की सुविधा

3.4.6. ऑन दि जॉब ट्रेनिंग के साथ ही प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना

3.4.7. प्रशिक्षुओं को पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) उपलब्ध कराने का प्रावधान

3.4.8. शिकायतों का निपटारा

3.5. सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी)

इस विशेष कार्यक्रम में सेक्टर स्किल काउंसिल की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

3.5.1. कोविड-19 क्रैश कोर्स की आवश्यकता के अनुसार अप्रूविंग ऑथॉरिटी की स्वीकृति से प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देना।

3.5.2. इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उच्च या अन्य NSFQ प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षित उम्मीदवारों के करियर और भविष्य को सुनिश्चित करना।

3.5.3. समयबद्ध तरीके से और प्राप्त मांग के आधार पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

3.5.4. समयबद्ध तरीके से मूल्यांकन और प्रमाणन।

3.5.5. एनएसडीसी, एसएसडीएम, डीएससी के सहयोग से सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा अनुमोदित डेली लॉग-बुक प्रारूप के अनुसार ऑन दि जॉब ट्रेनिंग की बारीकी से मॉनिटरिंग की जाएगी।

चैप्टर 4: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत COVID योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - बजट और अनुदान

4.1. बजट और फंडिंग पर विवरण

4.1.1 लगभग एक लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के इस कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत लगभग दो सौ छिहत्तर करोड़ रुपए है। कार्यक्रम के तहत गठित ईएससीसी को वित्तीय प्रावधान को प्रभावित किए बिना कार्यक्रम के तहत अनुमानित लक्ष्यों के गतिशील निर्धारण के मामले में उचित निर्णय लेने का अधिकार है।

4.1.2 कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) लागू किए जाएंगे। कार्यक्रम का वित्तीय प्रबंधन पीएमकेवीवाई 3.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

4.1.3 इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 276 करोड़ रुपए है, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई मांग के अनुरूप एसटीटी के तहत 90 हज़ार और आरपीएल के तहत 10 हज़ार एयर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए 2800 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

चैप्टर 5: पीएमकेवीवाई 3.0 की मॉनिटरिंग के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम

5.1. मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क

चूंकि यह कार्यक्रम पीएमकेवीवाई 3.0 का हिस्सा है, इसलिए कार्यक्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुछ मामूली बदलावों के साथ पीएमकेवीवाई 3.0 के मॉनिटरिंग गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर वैसे ही होंगे जो पीएमकेवीवाई 3.0 निगरानी दिशानिर्देशों में उल्लिखित हैं। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित संकेतकों की मॉनिटरिंग की जाएगी:

- उम्मीदवारों की उपस्थिति
- ट्रेनिंग सेंटर्स में सुविधाएं की उपलब्धता और इंफ्रास्ट्रक्चर
- दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता
- दिशानिर्देशों के अनुसार PMKVY की ब्रांडिंग
- बैच की संख्या सहित प्रशिक्षण की नियमितता
- ट्रेनर का क्वालिफिकेशन और ट्रेनर की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन
- ट्रेनिंग सेंटर्स द्वारा किसी भी तरह के अनैतिक व्यवहार की मॉनिटरिंग

कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए उपयोग की जाने वाली मॉनिटरिंग प्रक्रिया और टूल्स निम्नलिखित हैं:

- किसी भी तरह के फर्जी नामांकन से बचने के लिए उम्मीदवारों के आधार नंबर को स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) से जोड़ा जाएगा।
- आउट बाउंड डायलिंग (ओबीडी) और मैनुअल कॉलिंग द्वारा उम्मीदवारों का 100% सत्यापन किया जाएगा।
- अटेंडेंस की मॉनिटरिंग: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) और विशेष पीआईए (एसपीआईए) को एक मोबाइल एप्लिकेशन में मैनुअल उपस्थिति रिकॉर्ड के साथ दैनिक गतिविधियों की तस्वीर जमा करने की आवश्यकता होती है। वहीं, जहां भी लागू हो वहां एईबीएएस उपस्थिति प्रणाली को जिलों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति के अनुसार अपनाया जाएगा।

- मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से साप्ताहिक वर्चुअल वेरिफिकेशन
- डीएससी और एसईओ द्वारा ट्रेनिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण
- सीसीटीवी मॉनिटरिंग: यह एक नया चैनल है जो ट्रेनिंग सेंटर्स की मॉनिटरिंग के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षण नियमित रूप से कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से कक्षा की गतिविधियों की दैनिक तस्वीरें, कैंडिडेट्स की उपस्थिति और ट्रेनिंग सेंटर्स के लाइव वीडियो फुटेज के लिए कंट्रोल रूम ऐक्सेस की पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।
- आधार एनेबल्ड असेस्मेंट्स ऐप (AEAP) के माध्यम से उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैच के लिए केवल नामांकित उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया है।
- ऑन दि जॉब ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग: दैनिक लॉगबुक का औचक निरीक्षण
- परफॉर्मेन्स की मॉनिटरिंग: कार्यक्रम के 'की परफॉर्मेन्स इंडिकेटर्स' यानी केपीआई की प्रगति की मॉनिटरिंग स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
- ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन: ट्रेनिंग सेंटर्स को ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। मानदंडों पर खरा न उतरने पर इसे योजना के मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अनुसार निपटाया जाएगा।
- शिकायत निवारण: एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। वहीं, वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस कार्यक्रम की प्रकृति समयबद्ध है और इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना आवश्यक है। इसलिए, इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह के मॉनिटरिंग चैनलों को जोड़ा गया है। इसलिए, मॉनिटरिंग कमेटियां (आईएमसी/पीएमसी) साप्ताहिक या 15 दिनों के अंतराल या फिर जब भी आवश्यक हो तब मॉनिटरिंग प्रोसेस के दौरान देखे गए अनुशासनहीनता के मामलों के अनुरूप आयोजित की जाएंगी। ट्रेनिंग अवधि के प्रत्येक चरण में मॉनिटर किए जाने वाले प्रमुख मानदंड मोटे तौर पर पीएमकेवीवाई 3.0 मॉनिटरिंग गाइडलाइन के अनुरूप होंगे। मैनेजमेंट मॉनिटरिंग पेनाल्टी ग्रिड में बताए गए नियमों के मुताबिक किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या गलतियों के लिए दंडात्मक कार्यवाई करेगा।

चैप्टर 6: ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन गाइडलाइन्स

6.1. प्रस्तावना

'ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन दिशानिर्देश' बताते हैं कि 'कोविड योद्धाओं के लिए कस्टमाइज़्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम' को उम्मीदवारों, जनता, राज्य और जिले के साथ संवाद करते समय ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कैसे व्यक्त किया जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ का उपयोग प्रिंट, ऑनलाइन, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से संचार के लिए डिजाइनिंग, राइटिंग जैसे विभिन्न रचनात्मक चीजों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में किया जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रभावशीलता को अनुकूलित करना, रचनात्मक लचीलापन प्रदान करना, फिर भी निरंतरता सुनिश्चित करना है। पीएमकेवीवाई 3.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रशिक्षण केंद्रों को अपने केंद्रों की ब्रांडिंग के साथ ही प्रमोशनल एक्टिविटी करनी होगी।

6.1.1 स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम

'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड वारियर्स' एक एमएसडीई का एक विशेष कार्यक्रम है। मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के तहत कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क को स्वास्थ्य कर्मियों की स्किल ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम की समग्रता और निरंतरता, प्रशिक्षुओं के लिए इसकी विशेषताओं और बड़े पैमाने पर जनता के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

6.2. कम्युनिकेशन वैल्यूज़

6.1.1 स्पष्टता

राज्य के अधिकारियों/एसएसडीएम/प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्रों को कार्यक्रम के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट, संक्षिप्त और ईमानदारी से सबके बीच बताना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि स्वर और संचार की भाषा सभी के लिए यथासंभव सरल हो, स्थानीय भाषा में दर्शकों को कार्यक्रम के उद्देश्यों, इसकी विशेषताओं, लाभों और प्रशिक्षण के बाद के अवसरों को समझने में मदद करने वाली हो।

6.1.2 जवाबदेही

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और इसकी कार्यान्वयन शाखा, एनएसडीसी का लक्ष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हर जिले तक पहुंचना है और कार्यक्रम के उद्देश्यों को संप्रेषित करने के लिए सभी हितधारकों - राज्य प्राधिकरणों / एसएसडीएम / प्रशिक्षण भागीदारों से समर्थन का आग्रह करने के साथ ही वैल्यू चेन में प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों, नियोक्ताओं और अन्य लोगों की जरूरतों का जवाब देना है। हम सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे कार्यक्रम के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करके सभी के साथ सम्मानजनक तरीके से सकारात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करें।

6.1.3 दक्षता

हम सभी को दक्षता के लिए प्रयास करना चाहिए, न केवल हमारे लिए बल्कि जनता के लिए जिनकी हम सेवा करते हैं। वर्तमान महामारी के समय में, कार्यक्रम का उद्देश्य सभी हितधारकों के साथ मिलकर कुशल कार्यबल का एक पूल बनाना है जो न केवल हेल्थकेयर पेशेवरों का समर्थन करेगा, बल्कि मानवता के प्रति सेवा के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित करेगा।

कार्यक्रम के प्रमुख संदेश

- अंग्रेजी टैगलाइन: युनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट कोरोना
- हिन्दी टैगलाइन: सशक्त भारत, स्वस्थ भारत

टैगलाइन का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है।

6.3. जनता / प्रशिक्षुओं के लिए संदेश

कोरोनावायरस महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनज़र, एमएसडीई ने हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोगाम बनाया है जिसके अंतर्गत एक लाख से अधिक हेल्थकेयर पेशेवर को प्रशिक्षित कर कोविड फ्रंटलाइन वर्कफोर्स तैयार की गई है। वहीं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन और संचालन के लिए लॉजिस्टिक प्रोफेशनल को तैयार किया गया है ताकि कोविड 19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। नए जॉब रोल्स जैसे बेसिक हेल्थकेयर सपोर्ट, इमरजेंसी हेल्थकेयर सपोर्ट, एडवांस हेल्थकेयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट (फ्लेबोटोमिस्ट), होम हेल्थकेयर सपोर्ट, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट और कामर्शियल वेहिकल ड्राइवर को भी जोड़ा गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य:

- कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की मांग में हुई वृद्धि को पूरा करना
- मौजूदा स्वास्थ्य पेशेवरों के बोझ को कम करना
- देश के हर कोने में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना

- इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोगाम में निम्नलिखित तीन कस्टमाइज़्ड क्रैश कोर्स शामिल हैं:
  - कम्पोनेंट 1: हेल्थकेयर सेक्टर की 6 जॉब रोल में कैंडिडेट्स की फ्रेश स्किलिंग
  - कम्पोनेंट 2: आरपीएल, प्रायर लर्निंग और प्रायर एक्सपीरियंस द्वारा कैंडिडेट्स की अपस्किलिंग
  - कम्पोनेंट 3: लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन और संचालन हेतु ड्राइवरों की ट्रेनिंग

ब्रांड विजुअल आइडेंटिटी - ट्रेडमार्क, कलर, टाइपोग्राफी, ग्राफिक्स, इमेजरी, कॉपी

विश्वास पैदा करने और अधिकार बनाए रखने के लिए, ट्रेनिंग पार्टनर्स को सभी तरह के संचार में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसी भी तरह के संचार संदेशों के लिए, फिर वो चाहे आंतरिक और या बाहरी, माध्यम चाहे जो भी हो, कृपया इन दिशानिर्देशों में निर्धारित संचार संदेशों, टाइपोग्राफी, ग्राफिक्स और इमेजरी का ही उपयोग करें।

6.4. प्राइमरी लोगो

6.4.1 **एमएसडीई**

ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा 'कोविड योद्धाओं के लिए कस्टमाइज़्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम' को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किये जाने वाले इवेंट्स (ऑफ़लाइन या वर्चुअल) कम्युनिकेशन और एडवोकेसी के लिए एमएसडीई के लोगो, जैसा कि क्रिएटिव लेआउट में निर्धारित किया गया है, केवल उसी के ही उपयोग की अनुमति दी गई है।

एमएसडीई लोगो के उपयोग

- सभी ब्रांडिंग कोलैटरल्स पर एमएसडीई लोगो का उपयोग अनिवार्य है
- लोगो का उपयोग उसी अनुपात और तरीके से किया जाना चाहिए जैसा कि इसके साथ संलग्न क्रिएटिव में उल्लिखित है।
- टीपी का रंग/बैकग्राउंड नहीं बदलना चाहिए या किसी अन्य रूप में लोगो से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

- लोगो का आकार कोलैटरल साइज और ब्रांडिंग स्पेस के अनुसार बढ़ाया या उसका आकार बदला जा सकता है, हालांकि, उसके अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए।
- गाइडलाइन डॉक्युमेंट में निर्धारित किये गए स्किल प्रोगाम के अलावा ट्रेनिंग पार्टनर्स किसी और स्किल प्रोगाम या योजनाओं में एमएसडीई लोगो का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते।

सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
& ENTREPRENEURSHIP

6.4.2 स्किल इंडिया

स्किल इंडिया लोगो एमएसडीई की वैल्यूएबल एसेट है। यह ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन गाइडलाइन डॉक्यूमेंट स्किल इंडिया मिशन के लिए एक कॉमन रिकॉल वैल्यू बनाने में सभी हितधारकों के विस्तार, ब्रांड की पहचान और समर्थन को निर्धारित करता है। एमएसडीई ने 'कोविड वारियर्स के लिए 'कस्टमाइज़्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम' के संबंध में अपने चयनित ट्रेनिंग पार्टनर्स, राज्य प्रशासन, एसएसडीएम को स्किल इंडिया लोगो के उपयोग की अनुमति दी है।

स्किल इंडिया लोगो का उपयोग

- सभी तरह की कम्युनिकेशन पर स्किल इंडिया लोगो का उपयोग अनिवार्य है।
- लोगो का उपयोग उसी अनुपात और तरीके से किया जाना चाहिए जैसा कि इसके साथ अटैच क्रिएटिव में उल्लिखित है।
- ट्रेनिंग पार्टनर्स लोगो के कलर या बैकग्राउंड को नहीं बदल सकता और ना ही किसी अन्य रूप में लोगो से छेड़छाड़ करेगा।
- लोगो का आकार कोलैटरल साइज और ब्रांडिंग स्पेस के अनुसार बढ़ाया या उसका आकार बदला जा सकता है, हालांकि, उसके अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए।
- गाइडलाइन डॉक्युमेंट में निर्धारित किये गए स्किल प्रोगाम के अलावा ट्रेनिंग पार्टनर्स किसी और स्किल प्रोगाम या योजनाओं में स्किल इंडिया लोगो का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते।

6.4.3 माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटोग्राफ और कोट्स

- इस ट्रेनिंग प्रोगाम से संबंधित सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी की तस्वीर और कोट्स का उपयोग अनिवार्य है।
- फोटोग्राफ और कोट्स का उपयोग उसी अनुपात और तरीके से किया जाना चाहिए जैसा कि इसके साथ अटैच क्रिएटिव में उल्लिखित है।
- कोट्स का अनुवाद किसी अन्य भाषा में नहीं किया जाना चाहिए, जैसे क्रिएटिव में अटैच है वैसा ही रहना चाहिए।

6.5. सोशल मीडिया पब्लिसिटी

- लोगो का उपयोग सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी कैम्पेन और ऑनलाइन ब्रांडिंग कॉलेटरल्स के लिए ही होना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है।
- यह निर्धारित किया गया है कि ट्रेनिंग पार्टनर्स/राज्य प्रशासन/एसएसडीएम और अन्य द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता और प्रचार अभियानों को कौशल भारत मिशन और इसके उद्देश्य का तथ्यात्मक, रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से वर्णन करना चाहिए।
- जैसा कि निर्धारित किया गया है कि ट्रेनिंग पार्टनर्स इस गाइडलाइन डॉक्युमेंट में साथ दिए गए ब्रांडिंग टेम्प्लेट का उपयोग कर सकेंगे।
- ट्रेनिंग पार्टनर्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कार्यक्रम को प्रचारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें लाइव प्रशिक्षण तस्वीरों और वीडियो का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन तस्वीरों और वीडियो में क्लासरूम ट्रेनिंग, प्रेक्टिकल ट्रेनिंग, ओजेटी, ट्रेनीज के प्रशंसापत्र, ट्रेनर्स, एम्प्लॉयर्स आदि भी शामिल हो सकते हैं।
- कार्यक्रम में रेगूलर पोस्टिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन/एसएसडीएम/ट्रेनिंग पार्टनर्स को टारगेट ऑडियंस के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में सक्षम बनाएगी और अधिक लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जिला कौशल समितियों, एसएसडीएम और ट्रेनिंग पार्टनर्स को को स्किल इंडिया हैंडल (@MSDESkillIndia) और

NSDC हैंडल (@NSDCIndia) को टैग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संदेश बड़े दर्शकों के साथ साझा किया गया है।

- सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में विशिष्ट हैशटैग #Skill4HealthyIndia या #SkillIndia का उपयोग करें।
- कैंडीडेट्स को वर्कशॉप और क्लास की तस्वीरें ऊपर दिए टैग के साथ फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सभी कैंडिडेट्स को स्किल इंडिया के फेसबुक पेज @MSDESkillIndia को फ़ॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करें और ट्रेनिंग की तस्वीरें एवं वीडियो पोस्ट करते समय पेज को टैग करें।
- टीपी को कार्यक्रम से संबंधित अपडेटेड जानकारी के लिए स्किल इंडिया के आधिकारिक हैंडल को फ़ॉलो करना चाहिए और इसे टैग करना चाहिए
    - स्किल इंडिया: फेसबुक पेज – **SkillIndiaOfficial** | ट्विटर: **MSDESkillIndia**
    - एनएसडीसी: फेसबुक पेज – **NSDCIndiaOfficial** | ट्विटर: **NSDCINDIA**

क्रिएटिव लेआउट

क्रिएटिव के लिए आर्टवर्क फ़ाइलें यहां दिए गए लिंक से डाउनलोड की जा सकती हैं:
https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Ermk3iR7YVFAveWzFZ3kcCYBPsQiYfeW4GFs9sdKMhlsew?e=zlIZrr

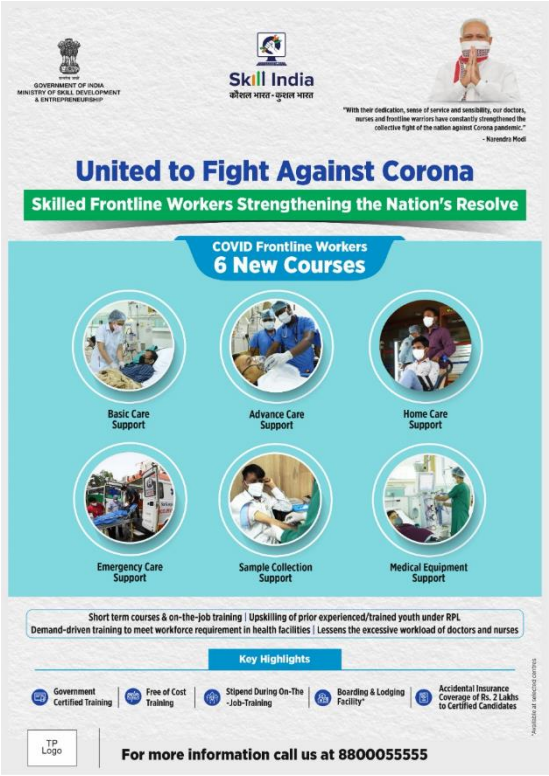

कलर पैलेट

English Creatives
Gotham Narrow Black
Gotham XNarrow Bold

Hindi Creatives
BHARTIYA HINDI_143
BHARTIYA HINDI_083

C-100 M-80 Y-0 K-0	C-100 M-0 Y-100 K-0	C-0 M-0 Y-0 K-100
C-100 M-20 Y-0 K-0	C-60 M-0 Y-20 K-0	C-0 M-0 Y-0 K-10
C-100 M-80 Y-0 K-0	C-100 M-0 Y-100 K-0	C-0 M-0 Y-0 K-100
C-100 M-20 Y-0 K-0	C-25 M-0 Y-10 K-0	

ट्रेनिंग पार्टनर्स / स्टेकहोल्डर्स के लिए परामर्श:

- स्टेकहोल्डर्स को अपने संबंधित सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ट्रेनिंग के बारे में कम्यूनिकेशन को सक्रिय रखना चाहिए। कम्यूनिकेशन ट्रेनिंग पार्टनर्स के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया जाना चाहिए।

- कोई भी कपटपूर्ण पोस्ट, सोशल मीडिया ग्रुप यदि पाए जाते हैं, तो कृपया grievance@nsdcindia.org पर सूचित करें
- तस्वीरें और वीडियो: सभी स्टेकहोल्डर्स और ट्रेनिंग पार्टनर्स से अनुरोध है कि वे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में नियमित अपडेट साझा करें। फ़ोटोग्राफ़ और वीडियो उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए (फोटोग्राफ कम से कम 1 एमबी का हाई रिज़ॉल्यूशन वाला जबकि वीडियो 60 एमबी का उच्च गुणवत्ता वाला का होना चाहिए)। वीडियो और तस्वीरों को क्षैतिज रूप से शूट किया जाना चाहिए न कि लंबवत रूप से।
- ऐसी तस्वीरें और वीडियो कृपया निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एमएसडीई / एनएसडीसी के साथ साझा किए जाएं:
    - ट्रेनिंग के बारे में शब्द वर्ड डॉकयुमेंट+ तस्वीरें- https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/Egg24Opkda1Aj9ouN2MAgAoBB5pdVPV8kopjv11lFNDcLg?e=WFnoah
    - विडियो - https://nsdcindiasp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsdccontent_nsdcindia_org/EnzCIWfzM8pLnhVnFJmDL0MB1FA6XmLZWzdCqkrucwK6jw?e=xlsytg

प्रशिक्षित योद्धाओं की सफलता की कहानियां:ट्रेनिंग सेंटर्स और जिला प्रमुखों को स्थानीय मीडिया एजेंसियों / प्रेस को प्रशिक्षुओं की सफलता की कहानियों के बारे में सूचित करना चाहिए। अपडेटेड फैक्टशीट भी अपने पास रखें। जिसमें उम्मीदवारों की प्रासंगिक जानकारी शामिल होनी चाहिए। जैसे- नाम, कांटैक्ट डिटेल, जॉब रोल, ट्रेनर, ट्रेनर कांटैक्ट डिटेल, पिता का व्यवसाय, और कोई अतिरिक्त टिप्पणी। यह जानकारी एनएसडीसी कम्यूनिकेशन विभाग के साथ नियमित रूप से साझा की जानी चाहिए।

चैप्टर 7: पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए क्रैश कोर्स कार्यक्रम - पीएमकेवीवाई 3.0 दिशानिर्देशों से छूट / विचलन

7.1. छूट/विचलन

निम्नलिखित पॉइंट्स कार्यक्रम के तहत छूट और स्पेसिफिक पॉइंट्स को कवर करते हैं:

i. चूंकि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुल एक लाख से ज़्यादा कैंडीडेट्स को प्रशिक्षित किया जाना है, इसलिए इसका बजट लगभग 276 करोड़ रुपये का है। इसलिए क्लासरूम ट्रेनिंग की लागत सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार है, जबकि ओजेटी के दौरान 125 रुपये प्रति दिन की दर से सेल्फ-बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा दी जाएगी। यहा बता दें कि इन सुविधाओं को आवंटन 276 करोड़ रुपये की राशि से नहीं किया गया है।

ii. प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल होने के लिए कुछ छूट के साथ केंद्रों की आधिकारिक प्रमाणन और संबद्धता प्रक्रिया।

iii. फ्रेश स्किलिंग के लिए ऑन दि जॉब ट्रेनिंग को प्लेसमेंट के रूप में ध्यान में रखना

iv. पीएमकेवीवाई 3.0 अनुमोदित किश्तों के भुगतान तंत्र (सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार) को डी-लिंक करना। इस कार्यक्रम के तहत भुगतान की जाने वाली किश्तें नए माइलस्टोन की उपलब्धि पर देय होंगी। प्रस्तावित नए माइलस्टोन हैं:

टेबल 3: पे-आउट तंत्र

ट्रैन्च	%	माइलस्टोन
ट्रैन्च 1	30%	प्रशिक्षण बैचों का प्रारंभ।
ट्रैन्च 2	40%	प्रशिक्षण के लगभग 21 दिनों के बाद अंतरिम मूल्यांकन।
ट्रैन्च 3	30%	ऑन दि जॉब ट्रेनिंग के लगभग 90 दिनों के बाद अंतिम मूल्यांकन।

v. कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स और पीएमकेवीवाई 3.0 के प्रावधानों से परे कम्पोनेंट 1 के लिए फ्रेश स्किलिंग के तहत प्रावधानित बजट के अनुसार, क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान कैंडीडेट्स को बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधा प्रदान करने का प्रावधान।

vi. कम्पोनेंट 1 के सभी उम्मीदवारों के लिए के ऑन दि जॉब ट्रेनिंग के दौरान लगभग 90 दिनों के लिए सेल्फ-बोर्डिंग और लॉजिंग का प्रावधान।

vii. पीएमकेवीवाई 3.0 के भीतर इस कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराने को पीएमकेवीवाई 3.0 में आवश्यक परिवर्तन कर ईएससीसी को सशक्त बनाना।

viii. पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत अन्य / समान पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों के पुन: नामांकन की छूट, जिनके 6 महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

अनुलग्नक 1: कॉस्ट् कम्पोनेंट

कम्पोनेंट	बजट हेड /विवरण	कैंडीडेट्स की संख्या	यूनिट कॉस्ट	सांकेतिक लागत (करोड़ में)
कम्पोनेंट 1	ए. सभी के लिए कुल प्रशिक्षण लागत (15,278 प्रति उम्मीदवार लागत)	90,000	₹15,278	**₹ 137.50**
	बी. सभी उम्मीदवारों के लिए OJT के दौरान 90 दिनों (लगभग) के लिए अतिरिक्त B&L (125 रुपए प्रति उम्मीदवार लागत)	90,000	₹11,250	**₹ 101.25**
	स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र (ए + बी) के तहत 90,000 उम्मीदवारों को लगभग 21 दिनों के फ्रेश स्किल ट्रेनिंग के लिए सांकेतिक बजट	**90,000**		**₹ 238.75**
कम्पोनेंट 2	10,000 उम्मीदवारों के लिए आरपीएल प्रशिक्षण लागत (@ औसत 6148.9 प्रति उम्मीदवार लागत)	**10,000**	**6148.9**	**₹ 06.14**
कम्पोनेंट 3	2800 लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन ड्राइवरों की प्रशिक्षण लागत (@औसत 13,393 प्रति उम्मीदवार लागत)	**2,800**	**13,393**	**₹ 03.75**
	कुल योग (कम्पोनेंट 1+2+3)			**₹ 248.64**
	एडमिन एंड टेक्निकल इंटरवेंशंस (6%), अवेयर &			**₹ 27.35**

	मोबिलाइजेशन (3%) और पोस्ट प्लेसमेंट (2%): कुल 11%			
	कार्यक्रम की कुल लागत			₹ 276.00

अनुलग्नक 2: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

खंड ए - कार्यक्रम, इसका उद्देश्य और कार्यान्वयन संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. स्पेशल हेल्थकेयर प्रोग्राम (कोविड वारीयर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम) क्या है?

उत्तर: कोविड-19 ने हमारी मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया है, और यह महसूस किया गया कि देश भर में कुशल कोविड योद्धाओं की आवश्यकता है। कुशल कोविड योद्धाओं की इस कमी को पूरा करने और सीमित समय के साथ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने स्केल, स्पीड और मानकीकृत स्किल इकोसिस्टम के अनुरूप प्रशिक्षित / कुशल कोविड योद्धाओं का एक पूल बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। परिणामस्वरूप, पीएमकेवीवाई 3.0 के केंद्रीय घटक के स्पेशल प्रोजेक्ट कैटेगरी के तहत इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 'कोविड योद्धाओं के लिए 'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स कार्यक्रम' को एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है।

कोविड-19 की पहली और दूसरी लहरों से उत्पन्न होने वाली अत्यावश्यकताओं ने अभूतपूर्व चुनौतियों और कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को जन्म दिया है, जिसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के संचालन और परिवहन में प्रशिक्षित ड्राइवरों की मांग में हुई वृद्धि भी शामिल है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत उम्मीदवारों को हेल्थकेयर सेक्टर की जॉब रोल्स

में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ वर्तमान क्रैश कोर्स के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के संचालन और परिवहन में ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्तमान दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

वर्तमान कार्यक्रम को विशेष रूप से कोविड-19 संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी आगामी कोविड-19 संबंधित आपात स्थिति के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र को सक्षम करने के लिए तैयार किया गया है।

2. 'कोविड योद्धाओं के लिए 'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम' के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में लगभग एक लाख कोविड योद्धाओं को तैयार करने के साथ ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन को परिवहन और संचालन के लिए 2,800 ड्राइवरों को प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

कार्यक्रम के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

i. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों और संबद्ध पशेवरों की मांग में वृद्धि को पूरा करना।
ii. मौजूदा स्वास्थ्य पेशेवरों के बोझ को कम करना।
iii. देश के हर कोने में समय पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।

3. योजना के प्रमुख कम्पोनेंट क्या हैं?

उत्तर: इस योजना के निम्नलिखित तीन कम्पोनेंट हैं:

i. कम्पोनेंट 1: हेल्थकेयर सेक्टर की 6 जॉब रोल्स में लगभग 21 दिनों की फ्रेश स्किलिंग (शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग) और उसके बाद 90 दिनों का ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (जैसा कि एफएक्यू नंबर 11 में बताया गया है)। जिला अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों में ओजेटी की सुविधा जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी।
ii. कम्पोनेंट 2: पीएमकेवीवाई 2.0 के हेल्थकेयर सेक्टर के तहत प्रशिक्षित हेल्थकेयर सेक्टर के 6 जॉब रोल्स (जैसा कि एफएक्यू नंबर 11 में बताया गया है) में उम्मीदवारों के लिए सात दिनों की आरपीएल के तहत अपस्किलिंग।

iii. कम्पोनेंट 3: खतरनाक रसायनिक पदार्थों के साथ-साथ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन में एचएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों को लगभग 27 दिनों का विशेष प्रशिक्षण, साथ ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की हैंडलिंग और परिवहन के दौरान 'रक्षात्मक ड्राइविंग' पर ध्यान केंद्रित करना।

4. विशेष कार्यक्रम किसके द्वारा लागू किया जाएगा?

उत्तर: एनएसडीसी) जिला कौशल समितियों (डीएससी) / राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के सहयोग से कार्यक्रम को लागू करने के साथ ही उसकी मॉनिटरिंग करेगा। जिसके लिए पीएमकेवीवाई 3.0 के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

5. इस विशेष कार्यक्रम के तहत नामांकन के लिए लोगों को कैसे संगठित करके परामर्श दिया जाएगा?

उत्तर: जिला कौशल समिति (डीएससी) और राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) उम्मीदवारों को संगठित करने और उन्हें परामर्श देने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, ट्रेनिंग पार्टनर्स से अपेक्षित समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। आरपीएल के लिए, पीएमकेवीवाई 2.0 प्रमाणित उम्मीदवारों के विवरण का उपयोग एनएसडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से किया जा सकता है ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जिन्हें अपस्किलिंग की आवश्यकता है।

6. 'कोविड वारियर्स के लिए 'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम' की टार्गेट ऑडियंस कौन हैं?

उत्तर:

आरपीएल)/अपस्किलिंग	• PMKVY 2.0 के तहत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रमाणित उम्मीदवार जो खुद को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें COVID विशिष्ट दक्षताओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। • • डीएससी/एसएसडीएम या अनुभवी व्यक्तियों की किसी अन्य श्रेणी द्वारा पहचाने गए उम्मीदवार
शॉर्ट टर्म फ्रेश ट्रेनिंग/	• विशेष परियोजना के तहत क्यूपी पात्रता को पूरा करने वाले

स्किलिंग	उम्मीदवारों की फ्रेश स्किलिंग कारवाई जाएगी।

7. कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण केंद्र को लक्ष्य आवंटित करने के लिए लक्ष्य आवंटन पद्धति क्या है?

Answer: उत्तर: लक्ष्य केंद्र की क्षमता से मेल खाते हुए और कोविड-19 मानदंडों के अनुरूप राज्यों और जिलों की मांग के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 20 उम्मीदवार होंगे। प्रशिक्षण दो समानांतर बैचों में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें एक कक्षा में और दूसरा लैब में आयोजित किया जा सकता है, (यानी एक निश्चित समय में 2 समानांतर बैच)।

8. क्या कोई कोविड -19 मानक संचालन प्रक्रिया है जिसका इस विशेष स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रदान करने के लिए पालन किया जाना आवश्यक है?

Answer: उत्तर: आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा: (https://www.pmkvyofficial.org/App_Documents/News/2909_NSDC_Guidlines_5_10_12.pdf), गृह मंत्रालय, और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/OMs-and-SOP-for-opening-of-TCs-under-PMKVY-2016-20.pdf), ट्रेनिंग सेंटर्स में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर कार्यक्रम के कार्यकाल के दौरान समय-समय पर केंद्रीय, राज्य और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसे अपडेट किया जाता है।

9. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण (टीओए), मूल्यांकन और प्रमाणन कौन करेगा?

उत्तर: पीएमकेवीवाई 3.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा किया जाएगा, यानी हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा 6 हेल्थकेयर सेक्टर जॉब रोल्स के लिए और एलएमओ ड्राइवरों के लिए लॉजिस्टिक्स एसएससी द्वारा।

10. स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कौन सी नौकरी की भूमिकाएं ली गई हैं और इसे मौजूदा क्यूपी में कैसे मैप किया गया है? विशेष योजना के तहत उम्मीदवारों के नामांकन के लिए न्यूनतम शिक्षा मानदंड क्या होगा?

उत्तर: हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा कम घंटों के साथ फाइनलाइज की गई 6 जॉब रोल्स नीचे दी गई हैं। वहीं फ्रेश स्किलिंग/एसटीटी और अपस्किलिंग/आरपीएल प्रशिक्षण के लिए पुराने/मूल क्यूपी पर ही होगा:

क्रमांक.	क्रेश कोर्स	क्रेश कोर्स क्यूपी कोड	क्यूपी जिससे मैप किया गया	**Minimum Education Criterion**
1	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (बेसिक केयर सपोर्ट) सीएफडब्लू-बीसीएस	HSS/Q5104	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट (जीडीए)	10वीं पास
2	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (होम केयर सपोर्ट) सीएफडब्लू-एचसीएस	HSS/Q5105	होम हेल्थ ऐड (एचएचए)	10वीं पास
3	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (एडवांस केयर सपोर्ट) सीएफडब्लू-एसीएस	HSS/Q5605	जीडीए एडवांस्ड - क्रिटिकल केयर (जीडीएए)	10वीं पास
4	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (सैंपल कलेक्शन सपोर्ट) सीएफडब्लू-एससीएस	HSS/Q0502	फ्लेबोटोमिस्ट	12वीं पास (साइंस)
5	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (इमरजेंसी	HSS/Q2303	इमर्जेंसी मेडिकल टेकनीशियन-	12वीं पास

क्रमांक.	क्रेश कोर्स	क्रेश कोर्स क्यूपी कोड	क्यूपी जिससे मैप किया गया	Minimum Education Criterion
	केयर सपोर्ट) सीएफडब्लू- ईसीएस		बेसिक (ईएमटीबी)	
6	कोविड फ्रंटलाइन वर्कर (मेडिकल ईक्विपमेंट सपोर्ट) सीएफडब्लू- एमईएस	HSS/Q5604	मेडिकल ईक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट (एमईटीए)	10वीं पास+ आईटीआई + टेक्निकल विषय में 3.5 साल का डिप्लोमा या अनुभव

11. क्या क्रैश कोर्स कार्यक्रम संबंधित प्रमाणन परिषदों/मूल्यांकन निकायों द्वारा अनुमोदित/अनुशंसित हैं?

उत्तर: कोविड से उभरी अभूतपूर्व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) से विशेष स्वीकृति दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) के तहत जॉब रोल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं इस विशेष कार्यक्रम के समय में कुछ घंटे भी कम किए गए हैं।

12. ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का चयन और पैनल कैसे बनाया जाएगा?

उत्तर: उत्तर: ट्रेनिंग पार्टनर्स/ ट्रेनिंग सेंटर्स का चयन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा और उसी तरह उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा:

i. जिले में पीएमकेके/ पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र,
ii. पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक के तहत एसएसडीएम द्वारा संबद्ध और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र
iii. केंद्र सरकार की डीडीयूजीकेवाई/एनयूएलएम योजनाओं के तहत संबद्ध और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र,
iv. निजी क्षेत्र के लिए संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए एनएसडीसी द्वारा संबद्ध और मान्यता प्राप्त जिले के अन्य प्रशिक्षण केंद्र

v. ऐसे प्रशिक्षण के लिए डीएससी/एसएसडीएम द्वारा अनुशंसित अस्पताल, नर्सिंग, पैरामेडिक स्कूल

13. ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग आयोजित करने का स्थान क्या होगा?

उत्तर: सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से डीएससी, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों, एसएसडीएम और प्रशिक्षण प्रदाता (टीपी)/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) की व्यवस्था के तहत अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) की व्यवस्था की जाएगी।

14. ओजेटी अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को उनके रहने और खाने के लिए कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी?

उत्तर: चूंकि ओजेटी के लिए चिन्हित और नामित किए गए हेल्थ फैसिलिटी /हॉस्पिटल में प्रशिक्षुओं की तैनाती इनके आवासों से दूर हो सकती है, इसलिए ओजेटी के लिए उम्मीदवारों को लगभग 90 दिनों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग 125 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

15. ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

उत्तर: ऑन जॉब ट्रेनिंग वाले परिसरों में दैनिक आधार पर एक लॉगबुक / लॉग शीट रखी जाएगी, जो ओजेटी के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा काउंटरसाइन की जाएगी। यह प्रशिक्षण प्रदाता/केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि वह उपस्थिति और लॉगबुक का रिकॉर्ड बनाए रखे और निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करे (मॉनिटरिंग निर्देशों के माध्यम से सूचित किया जाए)।

16. कैंडीडेट्स (फ्रेश स्किलिंग के लिए नामांकित) को सर्टिफिकेट कब प्राप्त होगा और इसमें क्या होगा?

उत्तर: प्रशिक्षण (क्लासरूम और ओजेटी) और मूल्यांकन के सफल समापन के बाद, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

17. उम्मीदवार (अपस्किलिंग के लिए नामांकित) को प्रमाणीकरण कब प्राप्त होगा और इसमें क्या होगा?

उत्तर: प्रशिक्षण और मूल्यांकन के सफल समापन के बाद, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

18. इस कार्यक्रम के तहत एक उम्मीदवार को कौन से लाभ और अधिकार दिए जाएंगे?

उत्तर: इस विशेष कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं के लिए निम्नलिखित पात्रताओं की परिकल्पना की जा रही है:

- 'कोविड योद्धा' के रूप में मान्यता
- कोविड टीकाकरण
- ओजेटी के दौरान प्रशिक्षुओं को पीपीई का प्रावधान
- पीएमकेवीवाई 3.0 दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ
- पुरस्कार राशि - प्रति उम्मीदवार 500 रुपये

19. जहां कोई पीएमकेके या कोई संबद्ध पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध नहीं है, वहां प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा?

उत्तर: डीएससी/एसएसडीएम आवश्यक बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्य अनुभव वाले संगठन की पहचान कर सकते हैं और दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता और संबद्धता के लिए सिफारिश कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रों के लिए संशोधित, संक्षिप्त मान्यता और संबद्धता प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जाएगा।

20. योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की तैनाती/नियुक्ति के लिए कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार होंगी?

उत्तर: स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति डीएससी, एनएसडीसी, एचएसएससी और प्रशिक्षण प्रदाता / केंद्र द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है।

21. विशेष कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए प्रमुख कांटैक्ट पर्सन कौन होंगे?

उत्तर: डीएससी अपने संबंधित जिले में नामित प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन की अनुमति जारी करने और नामांकित प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों के लिए आवाजाही के पास और इस योजना के लिए प्रशिक्षण के लिए आवश्यक किसी भी अन्य प्रशासनिक सहायता की सुविधा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

22. प्रशिक्षण गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष रूप से मॉनिटरिंग तंत्र क्या होगा जिसमें उपस्थिति, पाठ्यक्रम पूरा करना, लर्निंग आउटकम आदि शामिल हैं?

उत्तर: कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में प्रमुख हितधारकों की मॉनिटरिंग तंत्र, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां वही होंगी जो पीएमकेवीवाई 3.0 निगरानी दिशानिर्देशों में उल्लेखित हैं।

- किसी भी फर्जी नामांकन से बचने के लिए उम्मीदवारों का नामांकन आधार के साथ स्किल इंडिया पोर्टल से जुड़ा होगा।
- आउट बाउंड डायलिंग (ओबीडी) और मैनुअल कॉलिंग का उपयोग करके उम्मीदवारों का 100% सत्यापन।
- उपस्थिति की मॉनिटरिंग: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) और विशेष पीआईए (एसपीआईए) को एक मोबाइल एप्लिकेशन में मैनुअल उपस्थिति रिकॉर्ड के साथ दैनिक गतिविधियों की तस्वीर प्रस्तुत करना आवश्यक है। और जहां लागू हो, एईबीएएस उपस्थिति प्रणाली को जिलों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमति के अनुसार अपनाया जाएगा।
- मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से साप्ताहिक वर्चुअल वेरिफिकेशन
- डीएससी / स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर्स (एसईओ) द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों का औचक निरीक्षण दौरा।
- सीसीटीवी मॉनिटरिंग: ट्रेनिंग सेंटर्स की निगरानी के लिए यह एक नया चैनल प्रस्तावित किया जा रहा है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण नियमित रूप से कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से कक्षा की गतिविधियों की दैनिक तस्वीरें, उम्मीदवार की उपस्थिति

और टीसी के लाइव वीडियो फुटेज के लिए कंट्रोल रूम एक्सेस की पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।

- उम्मीदवारों का मूल्यांकन आधार इनेबल्ड असेसमेंट ऐप (AEAP) के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैच के लिए केवल नामांकित उम्मीदवारों का ही मूल्यांकन किया जाता है।
- ओजेटी मॉनिटरिंग: छात्रवृत्ती राशि जारी होने से पहले ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा बनाए गए दैनिक लॉगबुक की साप्ताहिक जांच।
- परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग: स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम के प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (केपीआई) की प्रगति की निगरानी की जाएगी।

23. क्या ऑनलाइन टीओटी/टीओए का प्रावधान होगा?

उत्तर: हां, हेल्थकेयर एसएससी में ऑनलाइन टीओटी/टीओए के प्रावधान हैं।

खंड बी - प्रमाणन और संबद्धता संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

24. स्पेशल हेल्थकेयर प्रोग्राम के तहत स्किल इंडिया पोर्टल पर ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में पंजीकरण कैसे करें?

उत्तर: एक नया ट्रेनिंग प्रोवाइडर एसआईपी (https://skillindia.nsdcindia.org/) पर जा सकता है और इन और चरणों का पालन कर सकता है:

- टीपी अपने 'संगठन का नाम' दर्ज करेगा
- टीपी 'पंजीकरण के तहत - विशेष योजनाओं के लिए नियमित प्रावधान' का चयन करेगा (यह ड्रॉपडाउन के रूप में उपलब्ध होगा)
- ट्रेनिंग प्रोवाइडर "संगठन का प्रकार" चुनेंगे- जैसे कंपनी/ ट्रस्ट/ सोसाइटी/ सरकारी संस्थान/ फर्म आदि।

ट्रेनिंग प्रोवाइडर को एप्लीकेबल डॉक्युमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता होगी जो इस बात के प्रूफ के रूप में कार्य करेगा कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर को स्पेशल हेल्थकेयर प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है या शॉर्टलिस्ट किया गया है। फॉर्म जमा करने के बाद, निरीक्षण एजेंसी पंजीकरण फॉर्म का

डेस्कटॉप मूल्यांकन करेगी और यदि सभी विवरण सही पाए जाते हैं तो टीपी को "डीम्ड रेडी (डीआर)" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

25. टीपी पंजीकरण शुल्क क्या है?

उत्तर: टीपी को 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा और एसआईपी पर टीपी पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा।

26. प्रमाणन और संबद्धता मॉड्यूल के तहत एसआईपी पर टीपी की डीम्ड रेडी (डीआर) स्थिति की वैधता क्या है?

उत्तर: केन्द्रीय प्रमाणन, संबद्धता और मॉनिटरिंग के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसआईपी पर डीआर स्टेटस की वैधता, डीआर स्टेटस दिए जाने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए होगी।

27. यदि किसी टीपी को 'डीम्ड नॉट रेडी/ नॉन कम्प्लाइन्ट के रूप में चिह्नित किया गया है, तो वो किस तरह से आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं?

उत्तर: डीएनआर के रूप में चिह्नित होने की स्थिती में टीपी एप्लिकेशन को अपडेट कर सकता है। टीपी आवेदन में हुई गलतियों/ नॉन कम्प्लाइनसेस की जांच के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तक पहुंच सकता है और एसआईपी के अनुसार इसे अपडेट कर सकता है।

28. एड्रेस प्रूफ के रूप में कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं?

उत्तर: जिन दस्तावेजों को एड्रेस प्रूफ के रूप में अपलोड किया जा सकता है, वे निम्नलिखित हैं:

- प्रॉपर्टी ऑनरशिप डीड, यानि प्रॉपर्टी का बैनामा संस्था के नाम पर होना चाहिए जो स्टेम्प के साथ रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए।
- बैंक स्टेटमेंट, बिजली के बिल, टेलीफोन बिल (केवल बीएसएनएल या एमटीएनएल के) पर संस्था के नाम और पते का का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए; यह 2 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

- आईटी प्राधिकरण द्वारा जारी पैन कार्ड या पैन सूचना पत्र (संस्था के नाम और पते के साथ)
- नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र / लाइसेंस, जैसे दुकान और संस्थान प्रमाण पत्र
- पीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र
- जीएसटी पंजीकरण
- इंकम टैक्स असेस्मेंट ऑर्डर
- टैन आवंटन पत्र

29. प्रमाणन और संबद्धता प्रक्रिया से टीपी निकासी के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: टीपी निकासी के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उसके अधीन सभी प्रशिक्षण केंद्र निष्क्रिय हो जाएं। अगर ये कर लिया गया है तो, वह टीपी एसपीओसी ईमेल आईडी से skillindia.helpdesk@nsdcindia.org. पर निकासी अनुरोध भेज सकता है।

30. स्किल इंडिया पोर्टल पर ट्रेनिंग सेंटर (टीसी) आईडी कैसे बनाएं?

उत्तर: टीपी को डीआर का दर्जा दिए जाने के बाद, टीपी डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रेनिंग सेंटर आईडी बनाई जा सकती है।

31. एसआईपी पर नए प्रशिक्षण केंद्र (स्पेशल हेल्थकेयर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित लक्ष्य) के प्रत्यायन और संबद्धता की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: एक नए प्रशिक्षण केंद्र जिसे स्पेशल हेल्थकेयर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है, उन्हें नीचे दी गई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:

1. टीसी क्रिएशन - सेंटर एक्रिडिटेशन एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएएफ) एक ऐसा फॉर्म है जिसे टीसी चयनित जॉब रोल्स के लिए मान्यता और संबद्धता प्राप्त करने के लिए एसआईपी पर ऑनलाइन जमा करता है। (एप्लीकेबल फी- INR 3,000)।

i. निरीक्षण एजेंसी (आईए) डीए आयोजित करती है और यदि अनुपालन पाया जाता है तो टीसी को डीआर के रूप में चिह्नित करें। अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए, टीसी को संबंधित योजना से प्राप्त "सिफारिश पत्र" को अपलोड करना होगा।

ii. यदि टीसी को "डीएनआर" के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो टीसी को निरीक्षण एजेंसी (आईए) द्वारा साझा की गई टिप्पणियों को संदर्भित करने और गैर-अनुपालन को संबोधित करने के लिए कहा जाता है।

2. टीसी का भौतिक निरीक्षण- केंद्र का औचक निरीक्षण करके, यह प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रदान की गई जानकारी की पुष्टि करने का एक चरण है। (एप्लीकेबल फी - 10,000 रुपये प्लस 1,000 प्रति कार्य भूमिका)।

   i. निरीक्षण एजेंसी मोबाइल एप्लिकेशन (स्मार्ट एनएसडीसी ट्रेनिंग सेंटर एप्प) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। यदि केंद्र को मान्यता और संबद्धता दिशानिर्देशों के अनुसार फिट पाया जाता है, तो निरीक्षण एजेंसी एसएससी को सशर्त मान्यता के लिए केंद्र की सिफारिश करता है।

3. सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा मान्यता- मान्यता/ सशर्त मान्यता स्थिति के अनुरूप संबंधित एसएससी निरीक्षण एजेंसी द्वारा अपलोड की गई निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करता है। यदि एसएससी निरीक्षण एजेंसी की सिफारिश से सहमत नहीं है, तो एसएससी निरीक्षण एजेंसी या प्रशिक्षण केंद्र से स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि एसएससी द्वारा टीसी को मान्यता नहीं दी जाती है, तो टीसी को पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा।

4. निरंतर मॉनिटरिंग- भौतिक निरीक्षण के बाद समय-समय अधिसूचना के माध्यम से तय मानदंडों और मेट्रिक्स के अनुसार टीसी की लगातार निगरानी की जाएगी। यदि टीसी इस दौरान प्रक्रियाओं पर खरा नहीं उतरता है तो टीसी का मान्यता स्कोर प्रभावित होता है। (एप्लीकेबल फी - 8,000 रुपये)

5. एसएससी द्वारा संबद्धता - 'संबद्धता' टीसी के लिए औपचारिक रूप से एसएससी के साथ जुड़ने का एक तरीका है, जो प्रशिक्षुओं को विशिष्ट कार्य भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो संबद्धता शुल्क के भुगतान के बाद टीसी को स्वतः प्रदान किया जाता है। (एप्लीकेबल फी- प्रत्येक मान्यता प्राप्त जॉब रोल के लिए 6,000 रुपये)

32. एक प्रशिक्षण केंद्र जो पहले से ही मान्यता प्राप्त है और एसआईपी पर विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के तहत संबद्ध है, स्पेशल हेल्थकेयर प्रोग्राम में कैसे भाग ले सकता है?

उत्तर: एक बार विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत एनएसडीसी से आशय पत्र/लक्ष्य आवंटन पत्र प्राप्त हो जाने के बाद, मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्र री-डेस्कटॉप असेसमेंट (री-डीए) के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद नए जॉब रोल को सलेक्ट करने के बाद एफएक्यू नंबर 35 के तहत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करें।

33. एसआईपी पर नए प्रशिक्षण प्रदाता या प्रशिक्षण केंद्र के ऑनबोर्डिंग से संबंधित किसी भी अतिरिक्त प्रश्न या मुद्दों के मामले में क्या कोई वेबसाइट या संपर्क नंबर है?

उत्तर: इस लिंक - https://skillindia.nsdcindia.org/faqs

को ऑनबोर्डिंग गतिविधियों से संबंधित किसी और विवरण के लिए संदर्भित किया जा सकता है या टीपी/टीसी या कोई अन्य हितधारक ईमेल smartdivision@nsdcindia.org. के माध्यम से सीधे एनएसडीसी सेंट्रल एक्रेडिटेशन टीम से संपर्क कर सकता है।

खंड सी - मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

34. मॉनिटरिंग टीम सरप्राइज विजिट या टीसी सेल्फ असेसमेंट (वर्चुअल वेरिफिकेशन) कब करेगी?

उत्तर: संबंधित केंद्र में प्रशिक्षण शुरू होने के बाद मॉनिटरिंग टीम किसी भी कार्य दिवस पर सरप्राइज विजिट या टीसी सेल्फ असेसमेंट कर सकती है। प्रत्येक टीसी में कम से कम एक भौतिक निरीक्षण और एक वर्चुअल निरीक्षण के बारे में सोचा गया है।

35. ऑटोमेटेड और मैन्युअल कॉल के माध्यम से कितने उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाएगा?

उत्तर: स्पेशल हेल्थकेयर प्रोग्राम में नामांकित सभी उम्मीदवारों का सत्यापन समर्पित कॉल सेंटर टीम द्वारा किया जाएगा। कॉल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं, गुणों, उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री आदि के बारे में होंगे और किसी भी गड़बड़ी को रिकॉर्ड करेंगे।

36. वर्चुअल वेरिफिकेशन ऐप में डेली अपलोड के तहत क्या करना होगा?

उत्तर: ट्रेनिंग सेंटर्स को दैनिक गतिविधियों वाली ग्रुप फ़ोटो और वीडियो के साथ प्रतिदिन ऐप में अपलोड करने की आवश्यकता होती है। डेली अपलोड के रूप में टीसी को ऐप में उपलब्ध फेस रिकग्निशन फीचर के माध्यम से उम्मीदवार की उपस्थिति पर भी इनपुट देना चाहिए।

37. निरीक्षक किस समय प्रशिक्षण केंद्र का दौरा करेगा?

उत्तर: विजिटिंग इंस्पेक्टर के पास किसी केंद्र के लिए बैच टाइमिंग का विवरण होगा, और पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करने के लिए प्रशिक्षण समय के दौरान दौरा करेंगे।

38. सरप्राइज विजिट/टीसी सेल्फ-असेसमेंट के दौरान कौन से पैरामीटर चेक किए जाएंगे?

उत्तर: सरप्राइज विजिट/टीसी सेल्फ-असेसमेंट के दौरान जिन प्रमुख मापदंडों की जांच की जाएगी, वे निम्नलिखित हैं:

- उम्मीदवारों का उपस्थिति रिकॉर्ड
- आवश्यक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता
- दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता
- दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमकेवीवाई की ब्रांडिंग
- प्रशिक्षक योग्यता दस्तावेज और टीओटी प्रमाणन
- टीसी द्वारा कोई भी अनैतिक व्यवहार

39. विसंगति वाले केंद्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर: विसंगति वाले केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें उसे एससीएन में उल्लिखित मुद्दों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी, जिसे विसंगति वाले केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, मॉनिटरिंग टीम द्वारा किए गए सबूतों और जांच के निष्कर्षों का विश्लेषण करेगी और पेनल्टी ग्रिड (पीएमकेवीवाई आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी।

40. जब कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो टीसी के साथ क्या होता है?

उत्तर: कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, भुगतान के साथ ही विसंगति केंद्रों के एसआईपी लॉगिन को रोक दिया जाता है और उचित कार्रवाई के लिए आईएमसी के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाता है। वहीं, होल्ड के दौरान ट्रेनिंग सेंटर्स एसआईपी में नए बैच नहीं बना पाएंगे। इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी (आईएमसी) के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

41. यदि इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी किसी टीसी को निलंबन/काली सूची में डालने की सिफारिश करती है तो क्या होगा?

उत्तर: यदि आईएमसी प्रशिक्षण केंद्र के निलंबन/ब्लैकलिस्टिंग की सिफारिश करता है, तो एसआईपी लॉगिन को ब्लॉक कर दिया जाएगा और दौरे के दिन चल रहे बैचों या भविष्य के बैचों का भुगतान भविष्य के भुगतानों से वसूल किया जाएगा।

42. मैं कारण बताओ नोटिस का जवाब कैसे दूं?

उत्तर: एक बार कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, टीसी/टीपी की जिम्मेदारी है कि वह निरीक्षण के दिन के लिए उपलब्ध सभी साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, तारीख और समय की मुहर लगी तस्वीरें, आवश्यक दस्तावेज आदि प्रस्तुत करें। कारण बताओ नोटिस को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए और सभी उपलब्ध साक्ष्यों के साथ जवाब दिया जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से आईएमसी के निर्णय में देरी से बचना चाहिए।

43. क्या मोनिरटिंग टीम निरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा मामलों को सुलझाने में अन्य सबूतों पर विचार करता है?

उत्तर: इंस्पेक्टर रिपोर्ट के अलावा, कॉल सत्यापन, उपस्थिति रिकॉर्ड, एससीएन के जवाब के रूप में टीपी/टीसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से एकत्र किए गए अन्य सबूतों का जांच के दौरान विश्लेषण किया जा सकता है।

44. मॉनिटरिंग इंसपेक्सन भौतिक होगा या वर्चुअल ?

उत्तर: मॉनिटरिंग इंसपेक्सन भौतिक और वर्चुअल दोनों ही तरह से हो सकता है, जोकि संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों / जिलों द्वारा कोविड से जुड़ी जारी की गयी गाइडलाइन पर निर्भर करता है।

45. क्या भौतिक/ वर्चुअल निरीक्षण के दौरान मॉनिटरिंग मापदंडों में कोई छूट दी जाएगी?

उत्तर: पीआईए और एसपीआईए को एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपस्थिति रिकॉर्ड के साथ दैनिक गतिविधियों की तस्वीर प्रस्तुत करना आवश्यक है और जहां लागू हो, एईबीएएस उपस्थिति प्रणाली को जिलों / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति के अनुसार अपनाया जाएगा।

46. क्या प्री-कोविड मॉनिटरिंग डायरेक्शन प्रशिक्षण बंद करने या प्रशिक्षण कार्यक्रम के किसी भी विचलन के परिदृश्य में लागू होंगे?

उत्तर: हां, कोविड मॉनिटरिंग डायरेक्शन लागू होंगे और ट्रेनिंग पार्टनर/ सेंटर को प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी बदलाव के बारे में एनएसडीसी मॉनिटरिंग और बिजनेस टीम को सूचित करना होगा। यदि सूचना पहले से साझा नहीं की जाती है और मॉनिटरिंग के दौरान गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, तो अप्रूव्ड पेनल्टी ग्रिड के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र / भागीदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

47. यदि भौतिक/वर्चुअल मॉनिटरिंग के दौरान ट्रेनिंग सेंटर्स में गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो क्या दंड में कोई छूट दी जाएगी?

उत्तर: गड़बड़ियों वाले ट्रेनिंग सेंटर्स /संस्थानों के दंड का निर्णय पूरी तरह से इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी के विवेक पर है। इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों का विश्लेषण करेगी और उसके आधार पर उचित कार्रवाई करेगी।

48. टीसी सेल्फ-असेसमेंट ऐप (रीयल-टाइम वर्चुअल वेरिफिकेशन) क्या है और यह कैसे काम करता है?

उत्तर: पीएमकेवीवाई मॉनिटरिंग टीम ने 'टीसी सेल्फ असेसमेंट ' मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया है जिसके माध्यम से ट्रेनिंग सेंटर्स/ एसपीओसी को एक मोबाइल पुश नोटिफिकेशन भेजी जाएगी ताकि वे ट्रेनिंग सेंटर्स/ संस्थान के अपने संबंधित 'सेल्फ असेसमेंट' को शुरू और पूरा कर सकें। एसआईपी पर ट्रेनिंग पार्टनर/पीआईए द्वारा घोषित प्रशिक्षण घंटों के भीतर कभी भी पुश नोटिफिकेशन भेजी जा सकती है। मोबाइल एप्लिकेशन टीसी सेल्फ असेसमेंट को पूरा करने के लिए कैप्चर किए जाने वाले ओब्जेक्टिव्स मापदंडों की एक सारणी प्रदान करता है।

49. मैं सेल्फ असेसमेंट के लिए ऐप कैसे डाउनलोड कर सकता हूं?

उत्तर: इस मोबाइल ऐप को टीसी/लोकेशन एसपीओसी द्वारा अपने मोबाइल फोन (एसआईपी/एसडीएमएस में दिए गए मोबाइल नंबर) पर डाउनलोड करने की जरूरत है।

मोबाइल पर टीसी सेल्फ असेसमेंट ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक हैं:

- IOS: itms-apps://itunes.apple.com/app/id1196090587
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senpiper.nsdc

50. अधिसूचना अलर्ट को स्वीकार करने से पहले टीसी को क्या पता होना चाहिए?

उत्तर: एप्लिकेशन को इंस्टाल के बाद, टीसी एसपीओसी एक लॉगिन पेज पर आएगा जहां उसे अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करना होगा, जिसे पीएमकेवीवाई मॉनिटरिंग टीम द्वारा टीसी के साथ साझा किया जाएगा। टीसी एसपीओसी अपने डिवाइस को नोटिफिकेशन रिंग प्राप्त करने की प्रतीक्षा करेगा जो 'टीसी सेल्फ-असेसमेंट' प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अलर्ट नोटिफिकेशन है। एक बार जब टीसी एसपीओसी नोटिफिकेशन अलर्ट को स्वीकार कर लेता है, तक एक फॉर्म आयेगा जिसके आखिर में "कंप्लीट ऑडिट" बटन होगा। असेसमेंट शुरू करने के लिए, असेसमेंट फॉर्म में फोटो क्लिक करना या संबंधित पैरामीटर कैप्चर करना शुरू करें। टीसी एसपीओसी को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए 75 मिनट के भीतर टीसी-सेल्फ असेसमेंट फॉर्म को पूरा करना होता है। (टीसी सेल-असेसमेंट फॉर्म की तस्वीर संलग्न है)।

डेमो के लिए, कृपया इस लिंक पर पहुंचें:

https://drive.google.com/file/d/1d62lpj936QRGx-NoFFZgg1VPBp8GVjs5/view

51. क्या होगा यदि टीसी एसपीओसी किसी कारण से नोटिफिकेशन अलर्ट से चूक गया है?

उत्तर: यदि टीसी एसपीओसी से किसी कारण से अलर्ट से चूक गया है, तो वे सेल्फ-असेसमेंट प्रक्रिया के संबंध में किसी भी अन-अटेंडेड अलर्ट की जांच के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन में अलर्ट सेक्शन (स्क्रीन के निचले दाएं कोने) में जाकर चेक कर सकते हैं।

52. वर्चुअल मॉनिटरिंग निरीक्षण को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स से किसे अधिकृत किया जाएगा?

उत्तर: वर्चुअल वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन अलर्ट (लिंक) रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर्स /लोकेशन एसपीओसी को भेजी जाएगी। इसलिए, प्रशिक्षण भागीदारों/केंद्रों से अनुरोध है कि वे एसआईपी या एसडीएमएस पर ट्रेनिंग सेंटर्स /लोकेशन एसपीओसी के विवरण को अपडेट करें।

53. सीसीटीवी मॉनिटरिंग क्या है?

उत्तर: टीसी गतिविधियों पर निरंतर फ़ीड प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टीसी से चयनित सीसीटीवी को एनएसडीसी केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा। कक्षा में पर्याप्त उम्मीदवार नहीं होने या विशिष्ट नौकरी की भूमिका में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता जैसे गैर-अनुपालन के मामले में इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिकेशन होगा। एप्लिकेशन में नॉक कमांड के जरिए लाइव वीडियो फीड की सुविधा भी होगी।

अनुलग्नक 3: महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिंक

क्रमांक.	दस्तावेज़ का नाम	Link
1.	पीएमकेवीवाई दिशानिर्देश (2020-2021)	https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/PMKY-Guideline_report_(08-01-2021)V3.pdf
2.	सामान्य लागत मानदंड	https://pmkvyofficial.org/App_Documents/News/Common_Norms.pdf

3.	मॉनिटरिंग दिशानिर्देश- पीएमकेवीवाई 3.0	https://msde.gov.in/sites/default/files/2021-04/Monitoring%20Guidelines_PMKVY%203.0.pdf
4.	सामान्य लागत मानदंड अपवाद: "विस्तार कार्य"	Common Norms for Skill Development Schemes implemented by Government of India.pdf (msde.gov.in)

Skill India

कौशल भारत - कुशल भारत